

समाहरणालय, चतरा। (राजरव शाखा)

सं० ४३५

प्रमाण-पत्र

दिनांक 10.7.18

राजरव एवं भूमि सुधार विभाग डारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/सं० संघी दिनांक-30.04.2015 द्वारा डारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/एजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल-टण्डवा के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

क्र०	अंचल	गौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	कुल रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टण्डवा	कामता	60	104	934 935	2.16	गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
2	टण्डवा	कुमरांगखूर्द	51	36	1 2 10 207P 211 P	2.70 46.35 7.01 17.79 0.59	74.44 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
3	टण्डवा	मासीलौंग	61	1	69P 312P 320P	1.30 1.05 0.08	2.43 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
4	टण्डवा	विंगलात	49	46	1 2 22 38	2.37 4.81 0.56 0.76	8.5 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
5	टण्डवा	कुमरांगकला	52	116	115 455 520 521 530 552 554	4.07 1.11 16.30 10.20 15.24 19.66 3.60	70.18 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
6	टण्डवा	उड़सू	54	51 51 51 51 38 51	195 196 264 298 328 360	5.04 32.34 29.70 9.53 0.61 3.21	80.43 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
7	टण्डवा	कुण्डी		37	1P 14 242P	3.50 9.15 0.46	13.11 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
8	टण्डवा	देवलगड़ा		27	7 235 242 247	0.47 1.29 0.04 1.61	3.41 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी

				438	0.05	
				443	3.02	
				448	13.57	
				481 P	0.62	
				484 P	2.30	
				485 P	8.36	
				486 P	11.11	
				526	12.77	
				537	15.50	
				541	13.25	
				553	2.62	
				559	1.19	
				563	4.49	
				590	13.48	
				699	0.30	
9	टण्डवा	सरादू	278	706 P	16.65	गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
				719	11.25	
				752	15.00	
				796 P	7.20	
				804	12.25	
				821	0.03	
				485 P	0.76	
				484 P	0.38	
				875 P	0.05	
				874	8.61	
				1706	0.28	
				1707 P	30.40	
				1708 P	49.50	
				1731 P	0.59	
				436 P	5.00	
				278 P	23.50	
10	टण्डवा	होन्हे	84	721	2.24	गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
				724	1.68	
				879 P	0.69	
				799 P	1.53	
				724 P	0.32	
				649 P	0.39	
				572 P	0.71	
				कुल-	546.30	544.14

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, महाप्रबंधक, CCL, मगध-आग्रपाली को NBCC Road निर्माण एवं कोल खनन हेतु सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरुआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
- गैर मजरुआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

उपायुक्त,
चतरा।

Vnadhikar Samati Nóc